केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00127
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00404
अपीलकर्ता गिरीश प्रसाद गुप्ता
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.09.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	25.09.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.10.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सुमन बाला CPIO, (DR to CR I)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.10.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	06.11.2024
निर्णय की तारीख	09.12.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.09.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"कृपया CIC का Diary No. - 125309/2024 दिनांक 08.08.2024 देखा जाये (सल्गन है छायाप्रति). मैंने उसका जवाब अपने पत्रांक 604 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से दिया था। (सल्गन है छायाप्रति) देखा जाये। पुनः Deputy Registrar (CR – 1) (नाम अस्पष्ट) ने अपने डायरी No. Diary No. 128354/2024 दिनांक 05.09.2024 (छायाप्रति सल्गन है।) इसे भी देखा जाय पुनः वापस कर दिया है। इन सभी कागजातों के आधार पर अतएव अब मुझे आर.टी.आई. नियम /प्रावधान एवं धारा के तहत बार- बार द्वितीय अपील अर्जी मेरे स्पष्टीकरण एवं जवाब के बावजूद वापस किया जा रहा है की छायाप्रति अभिप्रमाणित दी जाये। इस प्रकार Deputy Registrar (CR-

I) द्वारा जिस नियम /प्रावधान एवं गाइडलाइन के तहत द्वितीय अपील अर्जी की जांचने एवं छटनी कर अपीलार्थी को बार- बार वापस करने तथा मामले को आयोग के अन्य परिय सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर उस पर उनका निर्णय प्राप्त नहीं करना है संबंधित सभी कागजातों की छायाप्रति अभिप्रमाणित दी जाये।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्रीमती सुमन बाला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 22.10.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"सूचना के अधिकार नियम 2012, (https://cic.gov.in/rtiact), के नियम 9 के अनुसार आपकी द्वितीय अपील की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय अपील को वापस कर दिया गया।."

3. प्रथम अपील का आधार

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने लिए निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। दिनांक 17.10.2024 को 30 दिनों का समय सीमा समाप्त हो गई। मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/ गलत है /मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है / संतुष्ट नहीं हूँ।

अतः आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस विषय पर निष्पक्षता और न्यायिक तरीके से सुनवाई कर मामला का निपटारा करें और सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना को अब निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दें। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00404 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने 22.10.2024 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिकारी अधिनियम की धारा 2(च)के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल सम्बंधित लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 09.12.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(8) 09/12/24

O/C

C. I. C. /के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
09 DEC 2024
D. No.......................
Initials.......................